



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122020-223842
CG-DL-E-21122020-223842

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4070]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2020/अग्रहायण 30, 1942

No. 4070]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2020/AGRAHAYANA 30, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4633(अ).—यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड, ने तमिलनाडु राज्य में फुटवियर पार्क, इरुनगट्टुई सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क, श्रीपेरुम्बुदूर तालुक, कांचीपुरम जिले में फुटवियर क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 277(अ) दिनांक 07 फरवरी, 2008 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 62.22 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 62.22 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र स. 7414/एमआईई.2/2019-1 दिनांक 19 अगस्त, 2019 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्प जेड ने विशेष आर्थिक जोन के 62.22 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा.सं. एफ.2/73/2005—ईपीजेड]

अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2020

S.O. 4633(E).—WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Footwear sector at Footwear Park, Irungattukottai SIPCOT Industrial Park, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 62.22 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 277(E) dated 7th, February 2008;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed to de-notify entire area of 62.22 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given No Objection Certificate to the proposal vide Letter No. 7414/MIE.2/2019-1 dated 19th August, 2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 62.22 Hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No. F.2/73/2005-EPZ]

AMITABH KUMAR, Jt. Secy.